प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 10.04.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.04.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता वजहुल कमर पुत्र शम्स तबरेज निवासी परसा जपती थाना रुधौली जनपद बस्ती को दानो कुईया तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 01.04.2026 को थाना दुधारा पर सेमरियावा बाजार से अपनी भतीजी के गायब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 जयचन्द्र कनौजिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 वाहनों से 1,62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 153 वाहनों से 1,62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।